



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072022-237381
CG-DL-E-20072022-237381

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3077]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2022/ आषाढ़ 29, 1944

No. 3077]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2022/ASHADHA 29, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

का.आ. 3237(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3667(अ) तारीख 31 अगस्त 2021, जो भारत के राजपत्र तारीख 10 सितम्बर, 2021 में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि में बिहार राज्य में “मुजफ्फरपुर-मोतिहारी पाइपलाइन परियोजना” के अंतर्गत एलपीजी के परिवहन हेतु अंचल-बंजरिया, जिला- पूर्वी चम्पारण में एलपीजी परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी :

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबंधित भू-स्वामियों को तारीख 3 अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और श्री अरुण कुमार झा, सक्षम प्राधिकारी (पटना, बिहार) ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी ।

संलग्न : अनुसूची

अनुसूची

अंचल : बंजरिआ		जिला : पूर्वी चम्पारण	राज्य : बिहार		
मौज़ा/ग्राम	सर्वे / ब्लॉक/ सं.(प्लॉट सं.)	सब-डीव-सं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
सेमरा टोला भोला थाना नं. - 68	920		00	02	22
	927		00	04	40
	917		00	01	11
1	2	3	4	5	6
सेमरा टोला भोला थाना नं. - 68	918		00	02	45
	926		00	00	23

[फा. सं. आर-11025(11)/3/2020-ओआर-1/ई-35691]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2022

S.O. 3237(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. **3667(E)** dated the **31st August, 2021**, issued under sub-section (1) of section 3 of the petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the **10th September, 2021** the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Augmentation of “Muzaffarpur-Motihari Pipeline Project” for the transportation of LPG Products in Block-**Banjaria**, District- **East Champaran** in the state of Bihar by Indian Oil Corporation Limited ;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the concerned land owner by 3 October, 2021.

And whereas Shri Arun Kumar Jha, Competent Authority Patna (Bihar) has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government ;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline ;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Encl. :- Schedule

SCHEDULE

Anchal : Banjaria		District : East Champaran		State : Bihar	
Mouza/Village	Survey/Block No.	Sub-Div-No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Semra Tola Bhola Thana No. - 68	920		00	02	22
	927		00	04	40
	917		00	01	11
	918		00	02	45
	926		00	00	23

[F. No. R-11025(11)/3/2020-OR-1/E-35691]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.